आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –156/2023

श्रीमती सबिता कुमारी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
08.06.2023	यह पुनरीक्षण/अपीलवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के वाद संख्या–01/2022 में दिनांक–25.03.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। । आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को पोषणीयता के बिन्दु पर सविस्तार सुना। सुनवाई के दौरान आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि प्रश्नगत वाद ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन नियमावली–2016 से संबंधित है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रश्नगत मामला सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका–2016 से संबंधित है, जिसको सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। आवेदिका को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामला में श्रीमती सबिता कुमारी द्वारा चयन हेतु आवेदन सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका–2016 के	

WEB COPY NOT OFFICIAL

आधार पर दिया हुआ है। उल्लेखनीय है कि समेकित बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0) निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 05.03.2020 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि ***"जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलो में लागु होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप ही किया जाएगा।"*** चुंकि प्रश्नगत मामला 2016 के मार्गदर्शिका से आच्छादित है। अतएव ऐसे मामलों को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु पर पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL

WEB COPY NOT OFFICIAL